AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना हरिपर्वत जनपद आगरा। 29.09.2021

बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना हरिपर्वत पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्जीय वाहन चोर गैंग के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 07 एक्टिवा, 02 अवैध चाकू, व अन्य सामान बरामद....

दिनांक 29.09.2021 को थाना हरिपर्वत पुलिस टीम संजय प्लेस के पास चैकिंग में व्यस्त थी, इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी एक अर्न्तराज्जीय वाहन चोर गैंग के सदस्य विजय नगर पालीवाल पार्क कॉसमास मॉल के पास आने वाले हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम बताये स्थान पर पंहुच चैकिंग करने लगे। कुछ देर बाद दो मोटर साइकिलों पर सवार 04 व्यक्ति व एक एक्टिवा पर एक व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये। पुलिस टीम को देख तीनों मोटरसाइकिल व स्कूटी पीछे मोड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 02 अभियुक्त फरार होने में सफल रहे। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद नाजायज चाकू, 10 मोटर साइकिल व 07 एक्टिवा व चार मास्टर चाबी बरामद हुयी। इस सम्बंध में थाना हरिपर्वत पर मु0अ0सं 402/21 धारा 420/414 भादवि, 41/102 द0प्र0सं0 व 15 डकैती अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर तीनो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारे फरार साथियों के नाम मोनू पुत्र पप्पू नाई व भूपेन्द्र पुत्र बाबूलाल है। हम तीनो आगरा से इन वाहनों को चोरी करके राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन के पास झाडियों में छिपाने जा रहे थे। जहां पर हमने और भी वाहन चोरी कर के छिपा रखा है। इस सूचना पर पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची जहां पर झाड़ियों में 08 मोटर साइकिल व 06 एक्टिवा छुपा कर रखी हुयीं थीं, जिन्हें मिलाकर अभियुक्तों से कुल 10 मोटरसाइकिल व 07 एक्टिवा चोरी की बरामद हुयीं। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग रात्रि में सुनसान रास्तों से भी वाहन लूटकर यहां पर छिपा देते हैं व इन वाहनों की नम्बर प्लेट बदल देते हैं तथा मौका देखकर इन चोरी के वाहनों को बेच देते है।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. मोनू उर्फ मोहन उर्फ मोनिया पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर।

02. ओमकार पुत्र सत्यभान निवासी करन सिंह मढैया थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर।
03. बनवारी पुत्र निरंजन निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर।

➢ **फरार अभियुक्तगण का विवरण** :–

01. मोनू पुत्र पप्पू नाई नि0 मुन्ना कालौनी राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान।
02. भूपेन्द्र पुत्र बाबूलाल नि0 अम्बरपुर राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान।

➢ **बरामदगी का विवरण :–**

01. 02 अवैध नाजायज चाकू।
02. 10 मोटर साइकिल।
03. 07 एक्टिवा।
04. 04 मास्टर चाबी।

➢ **आपराधिक इतिहास :–**

- **अभि0 मोनू उर्फ मोहन उर्फ मोनिया**

01. मु0अ0सं0 402/21 धारा 420/414 भादवि, 41/102 द0प्र0सं0 व 15 डकैती अधि0 थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 403/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 48/16 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना निबोहरा जनपद आगरा।
04 मु0अ0सं0 49/16 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 411 भादवि थाना निबोहरा आगरा।
05. मु0अ0सं0 60/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
06. मु0अ0सं0 190/16 धारा 379 भादवि थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
07. मु0अ0सं0 436/16 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
08. मु0अ0सं0 814/15 धारा 147/148/149/107 भादवि थाना शाहगंज जनपद आगरा।
09. मु0अ0सं0 819/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।
10. मु0अ0सं0 824/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।

अभियुक्त मोहन पर 04 अभियोग दिल्ली से हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है।

- **अभि0 ओमकार**

01. मु0अ0सं0 402/21 धारा 420/414 भादवि, 41/102 द0प्र0सं0 व 15 डकैती अधि0 थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 404/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।

- **अभि0 बनवारी**

01. मु0अ0सं0 402/21 धारा 420/414 भादवि, 41/102 द0प्र0सं0 व 15 डकैती अधि0 थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।

➢ **पुलिस टीम :–**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार मय टीम थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।